



प्रेस नोट - दिनांक 03.09.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

चोरी के माल के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चोरी के माल के साथ दो अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.06.2026 को वादी मुकदमा उदयकान्त वाजपेई पुत्र श्री जयकृष्ण वाजपेयी नि० मौहारी बाग सिविल लाईन जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर प्रार्थना पत्र दिया था कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी के शिक्षण संस्था के गेट का ताला तोड़ कर अन्दर से कैमरे, डीवीआर, नगदी तथा अन्य कागजात, एटीएम, ओप्पो कंपनी का फोन, लेपटॉप व चार्जर चोरी कर ले गये हैं जिसके आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 332/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 21.08.2026 को प्रकाश में आये एक अभियुक्त आकाश पुत्र रामशरन सविता निवासी ग्राम देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव हाल पता किराये का कमरा बाल विद्या मंदिर पूरन नगर थाना कोतवाली उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष को कांशीराम सुधापुरम मोड के पास गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसके कब्जे से वादी मुकदमा का एक अदद मोबाइल कंपनी OPPO ANDROID रंग शैम्पेन गोल्ड व 2200/- रुपये बरामद हुये थे पुलिस द्वारा घटना में प्रकाश में आये दो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे । इसी क्रम में दिनांक 02.09.2026 की रात्रि को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. कृष्ण कुमार उर्फ कन्हैया पुत्र लखमी उर्फ लखपत निवासी देवगांव थाना सफीपुर हाल पता किराये का कमरा बाल विद्या मंदिर पूरन नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष 02. सूरज पुत्र सियाराम निवासी दूबेपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव हाल पता किराये का कमरा बाल विद्या मंदिर पूरन नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष को कांशीराम कालोनी के ब्लाक से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण 01. कृष्णा उर्फ कन्हैया पुत्र लखपत गौड के पास से कुल रुपये 4500 तथा दूसरे अभियुक्त 02. सूरज उर्फ संजय कश्यप पुत्र सियाराम के पास से कुल 3500 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया।

कि दिनांक 05/06.06.2026 की रात्रि में कांशीराम नई बस्ती में एक शिक्षा संस्थान में हम तीनों लोगो ने ताला तोड़कर एक मोबाइल ,10300 रुपये नगद, एक चेक व एक लेपटॉप मय चार्जर व संस्थान में लगे कैमरे व डीवीआर चोरी किये थे। मोबाइल व कुछ रुपये हमने आकाश सविता को दे दिये थे तथा बचे हुए रुपये हम दोनों ने आपस में बांट लिये थे उन्ही में से बचे हुए यह रुपये हैं जो हम लोगो बरामद हुये हैं तथा लेपटॉप व चार्जर को हमने अपने पास रख लिया था। अभियुक्तगण की निशादेही पर लैपटॉप व चार्जर की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.कृष्णा उर्फ कन्हैया पुत्र लखपत गौड नि0 देवगांव थाना सफीपुर उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष हाल पता 151/1 कांशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
- 2.सूरज उर्फ संजय कश्यप पुत्र सियाराम नि0 दूबेपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण - अदद लेपटॉप मय चार्जर , एक अदद चेक , नगद 8000 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र
2. उ0नि0 सभाजीत सिंह चौहान
3. का0 अक्षय गोस्वामी
4. का0 सुरेन्द्र
5. का0 अनुभव मिश्रा
6. का0 मंगल दास





प्रेस नोट - दिनांक 03.09.2026

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा थाना अजगैन पर तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिक बहन उम्र करीब 17 वर्ष को कोई बहला फुसलाकर भगा ले गया प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 371/26 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.09.2026 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सहदेव पुत्र राजकुमार निवासी बुदबुदा खेड़ा म0 सकरा दोना थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष को गौरा कठेरवा गेट के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

पवन पुत्र स्व0 रामनरेश निवासी ग्राम कसरौर थाना पुरवा जिला उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री मो0 कल्लन
- 2.का0 पुष्पेन्द्र सिंह
- 3.का0 राहुल यादव

